न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – मुकेश बारेठ, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 49/2018
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बलजीत सिंह
2. हरजीत सिंह
3. श्रीमती बलवन्त कौर

} पुत्रगण/पत्नि श्री स्व0 कर्मसिंह जातियान रामगढिया सा0 कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

....वादीगण

ब ना म

1. गुरचरण सिंह पुत्र श्री तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह जाति तरखान साकिन कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) ,श्रीगंगानगर।
3. शाखा प्रबन्धक पंजाव एण्ड सिंध बैक शाखा खालसा कॉलेज श्रीगंगानगर।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा श्रीगंगानगर। ... प्रतिवादीगण.

उपस्थित– श्री सुरेश अरोडा	(वादीगण)
श्री मोहन लाल पूनियॉ/श्री सजंय जनवेजा	(प्रतिवादी–1)
श्री हिम्मत सिंह जुनेजा	(प्रतिवादी– 3)
पैरोकार राज	(प्रतिवादी–2)

दिनांक 09 दिसम्बर 2019

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 4 ए बड़ा तह0 व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 26/3 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069) का मुरब्बा नम्बर 9,18,19 व 31 की कुल 6.579 है0 नहरी कृषि भूमि संयुक्त खाता में से वादी संख्या 1 बलजीत सिंह के नाम से 0.9855 हे0 कृषि भूमि, वादी संख्या 2 हरजीत सिंह के नाम से 0.9855 हे0 कृषि भूमि, वादिया संख्या 3 श्रीमती बलवन्त कौर के नाम सें 1.317 है0 भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 3.288 हे0 कृषि भूमि व इसी चक 4 ए बडा के खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 9,18 व 30 की कुल 6.579 हे0 नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 बलजीत सिंह के नाम से 1.507 है0 कृषि भूमि, वादिया संख्या 3 श्रीमती बलवन्त कौर के नाम से 0.274 हे0 भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 3.288 है0 कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। इस प्रकार दोनो खातो की कुल 13.158 है0 भूमि में से वादी संख्या 1 के नाम से कुल 2.4925 हे0 भूमि वादी संख्या 2 के नाम से कुल 2.4925 हे0 भूमि व वादिया संख्या 3 के नाम से कुल 1.591 हे. भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है,शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है। जमाबंदियों की नकल संलग्न है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के एक ही परिवार की उत्तराधिकारी से प्राप्त हुई है, पूर्व में उक्त भूमि वादीगण के दादा/ससूर श्री तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह के नाम से दर्ज कागजात माल थी, तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह के देहान्त के पश्चात उक्त रकबा उनके कुल 7 वारिसों को न्यागत हुआ। जिनमें तीन वारिसान भोलो,गुड्डी व छिन्द्रकौर पुत्रियान तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह ने अपने हिस्सा का हक परित्याग जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 के पख में कर दिया तथा 2 वारिसान मेजर कौर व मलकीयत कौर पुत्रियान श्री तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह ने अपने हिस्सा का हक परित्याग वादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया तथा एक वारिस श्रीमती गुरदयाल कौर पत्नि श्री तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह ने अपने हिस्सा की भूमि की वसीयत वादीगण के पख में करवा दी थी, जिनका देहान्त हो जाने के बाद उक्त रकबा वादीगण के नाम से जरिये वसीयत अमल दरामद हुआ। उक्त

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 09 नवम्बर 2019 के अनुसार वादीगण बलजीत सिंह पुत्र स्वं. कर्मसिंह , हरजीतसिंह पुत्र स्वं. कर्मसिंह व श्रीमती बलवंत कौर पत्नि स्वं. कर्मसिंह को चक 4 ए बडा के खाता संख्या 26/3 व 27/35 की 6.579 हैक्टेयर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबरखातेदार घोषित किया जाता है। व प्रतिवादी संख्या 1 गुरचरण सिंह पुत्र श्री तारा सिंह उर्फ अवतार सिंह को चक 4 ए बडा के खाता संख्या 27/35 मुरब्बा नम्बर 9 के किला नं0 21 का 10 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 सालम तथा मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 6.579 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। परन्तु समस्त भूमि भार मुक्त होने के स्थिति पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कि जावें। यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner